

संदर्भः आईआरडीएआई/आईआईडी/सीआईआर/विविध/229/11/2022 दिनांकः 14 नवंबर, 2022 Date: 14th Nov 2022

Ref: IRDAI/IID/CIR/MISC/229/11/2022

परिपत्र **CIRCULAR**

प्रति/ To.

सभी जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता और बीमा भंडार (रिपोजिटरीस) All Life, General and Health Insurers and Insurance Repositories

विषयः लेखा संग्राहक ढाँचे में सहभागिता

Sub: Participation in Account Aggregator Framework

- 1. यह भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा संदर्भ डीएनबीआर.पीडी.009/03.10.119/ 2016-17 के अनुसार जारी किये गये मास्टर निदेश – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लेखा संग्राहक (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 दिनांक 2 सितंबर 2016 के संदर्भ में है।
- 2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने उपर्युक्त निदेश के द्वारा भारत में लेखा संग्राहक (एए) के पंजीकरण और परिचालन के लिए रूपरेखा दी है।
- 3. लेखा संग्राहक (एए) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है जो किसी ग्राहक से संबंधित वित्तीय सूचना प्रदाताओं (एफआईपी) से वित्तीय सूचना पूनः प्राप्त करने अथवा संगृहीत करने तथा ऐसी सूचना समेकित करने, सुव्यवस्थित करने और ग्राहंक को अथवा ग्राहक की सुस्पष्ट सहमित के आधार पर किसी अन्य वित्तीय सुचना प्रयोक्ता (एफआईय) को प्रस्तुत करने की सेवा प्रदान करती है।
- 4. उक्त मास्टर निदेश का पैरा 3(1)(xi) वित्तीय सूचना प्रदाता की परिभाषा देता है तथा इसमें बीमा कंपनी और बीमा भंडार (रिपोजिटरी) शामिल है।
- 5. इस संबंध में, बीमा क्षेत्र के एफआईपी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास पंजीकृत लेखा संग्राहक के माध्यम से मास्टर निदेशों के खंड (7) में उल्लिखित शर्तों के अधीन ग्राहकों और एफआईय को मास्टर निदेशों के पैरा 3(1) (xi) में यथापरिभाषित "वित्तीय सूचना" को साझा करेंगे।
- 6. बीमा क्षेत्र में एफआईपी एए के साथ एक संविदागत ढाँचे में प्रविष्ट होंगे, तथा यह सस्पष्ट रूप से निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करेगाः
- क. प्रत्येक पक्षकार के अधिकार और दायित्व
- ख. विवाद समाधान व्यवस्था की पद्धतियाँ
- 7. बीमा क्षेत्र के एफआईपी से प्रत्याशित है कि समय-समय पर अद्यतन किये गये रूप में रिज़र्व बैंक इन्फर्मेशन टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड (आरईबीआईटी) द्वारा प्रकाशित तकनीकी विनिर्देश को अपनाएँ तथा एए के लिए सुरक्षित डेटा प्रवाहों को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) ढाँचे और इंटरफेसों का अंगीकरण करें। उक्त प्रौद्योगिकी मापनीय भी होनी चाहिए जिससे भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले किसी अन्य एए को कवर किया जा सके।
- 8. बीमा क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए एफ आईपी की आईटी प्रणालियों में पर्याप्त रक्षोपाय निर्मित होंगे कि इसे अनिधकृत प्रवेश, परिवर्तन, विनाश, प्रकटीकरण अथवा अभिलेखों और डेटा के प्रसार के विरुद्ध सुरक्षित रखा जाए।

- 9. बीमा क्षेत्र में एफआईपी ग्राहकों की शिकायतों के निवारण सिहत, उनके लिए लागू आईआरडीएआई विनियमों/दिशानिर्देशों/परिपत्रों में यथाविनिर्दिष्ट आचरण-संहिता का भी पालन करेंगे।
- 10. बीमा क्षेत्र में एफआईपी बीमा अधिनियम, 1938, आईआऱडीए अधिनियम, 1999 और उनके अधीन बनाये गये विनियमों/दिशानिर्देशों/परिपत्रों के अंतर्गत सभी विनियामक उपबंधों का अनुपालन करना जारी रखेंगे।
- 11. बीमा क्षेत्र में वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) अवश्य प्रमुख रूप से अपनी वेबसाइटों पर उन लेखा संग्राहकों के नाम प्रकट करें जिनके माध्यम से सूचना का साझा किया जाता है।
- 12. इस परिपत्र के उपबंध तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- 1. This has reference to Master Direction Non-Banking Financial Company Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016 dated 2nd September, 2016 issued by Reserve Bank of India (RBI) vide ref DNBR.PD.009/03.10.119/2016-17.
- 2. RBI vide above Direction provided framework for the registration and operation of Account Aggregator (AA) in India.
- 3. AA is Non-Banking Finance Company that provides service of retrieving or collecting financial information from Financial Information Providers (FIP) pertaining to a customer and consolidating, organizing and presenting such information to the customer or any other Financial Information User (FIU), on the basis of explicit consent of the customer.
- 4. The para 3(1)(xi) of the Master Direction defines Financial Information Provider and it includes Insurance Company and Insurance Repository.
- 5. In this regard, FIPs of Insurance sector will share the "Financial Information", as defined in para 3(1) (ix) of the Master Directions, to the customers and FIUs subject to conditions mentioned in the clause (7) of the Master Directions, through Account Aggregator registered with RBI.
- 6. FIPs in insurance sector shall enter into a contractual framework with the AAs, and the same shall distinctly specify the following:
- a. Rights and obligations of each party
- b. Modalities of Dispute Resolution mechanism
- 7. FIP of insurance sector are expected to adopt technical specification published by Reserve Bank Information Technology Private Limited (Re BIT), as updated from time to time and adopt required Information Technology (IT) framework and interfaces to ensure secure data flows to AA. The technology should also be scalable to cover any other AA as may be specified by Reserve Bank of India in future.
- 8. There shall be adequate safeguards built in IT systems of FIPs in the insurance sector to ensure that it is protected against unauthorized access, alteration, destruction, disclosure or dissemination of records and data.
- 9. The FIPs in the insurance sector shall also abide by the code of conduct as specified in the IRDAI regulations/guidelines/circulars applicable to them, including redressal of grievances of the customers.
- 10. The FIPs in the insurance sector shall continue to comply with all the regulatory provisions under the Insurance Act 1938, IRDA Act 1999 and the regulations/guidelines/circulars framed there under.

- 11. The Financial Information Providers (FIPs) in insurance sector must disclose Prominently on their websites the names of the Account Aggregators through which the information is shared.
- 12. The provisions of this circular will come into force with immediate effect.

हस्ता / Sd/-(रणदीप सिंह जगपाल / Randip Singh Jagpal) कार्यकारी निदेशक / Executive Director